ई–मेल

पत्रांक :–3प/मु०म०नि०यो०–19–36/2018(पार्ट–2)/7927/पं०रा०

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

डॉ० रणजीत कुमार सिंह, भा०प्र०से०
निदेशक।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार (अररिया, कटिहार, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, समस्तीपुर, शेखपुरा, सुपौल, अरवल एवं शिवहर को छोड़कर)।

पटना, दिनांक 17/8/2022

विषय :– पंचायती राज विभाग अंतर्गत क्रियान्वित "हर घर नल का जल" योजना का जिला स्तरीय पदाधिकारियों द्वारा किया गया स्थल निरीक्षण एवं योजना का कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने के परिपेक्ष्य में अनुवर्ती कार्रवाई उपलब्ध नहीं कराने के संबंध में।

प्रसंग :– विभागीय पत्रांक–6189, दिनांक–06.07.2022।

महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक विषय के संबंध में कहना है कि प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग द्वारा जिला स्तरीय पदाधिकारियों की ओर से "हर घर नल का जल" योजना के निरीक्षणोपरांत पोर्टल पर अपलोड डाटा की योजनाओं का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण करते हुए अनियमितताओं के विरूद्ध नियमानुसार अनुवर्ती कार्रवाई करते हुए मुख्यमंत्री सचिवालय के सक्षम प्राधिकार को शीघ्र उपलब्ध कराते हुए एवं कृत्त कार्रवाई से विभाग को भी अवगत कराने को कहा गया था, जिसकी सूचना अभी तक अप्राप्त है। उल्लेखनीय है कि जिला अंतर्गत वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के माध्यम से उक्त योजनाएं क्रियान्वित की गयी हैं, जिसमें प्रत्येक स्तर के योजना क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण इकाई की भूमिका निर्धारित है एवं तदनुरूप योजना के क्रियान्वयन में पायी गयी अनियमितताओं/त्रूटियों का निराकरण चयनित प्रखंड स्तरीय अनुरक्षण एजेंसी के माध्यम से ही अविलंब करवाने की कार्रवाई करते हुए दोषियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाये।

अतः अनुरोध है कि विषयगत निरीक्षण प्रतिवेदन को अपने स्तर से अतिशीघ्र समीक्षा की जाये एवं पायी गयी अनियमितताओं के विरूद्ध नियमानुसार अनुवर्ती कार्रवाई करते हुए मुख्यमंत्री सचिवालय के सक्षम प्राधिकार के साथ–साथ विभाग को भी अवगत कराया जाये।

अनुलग्नक – विभागीय पत्रांक–6189, दिनांक–06.07.2022 संलग्न।

विश्वासभाजन

17/8/22

(डॉ० रणजीत कुमार सिंह)
निदेशक

d:\suraj\7 nishchav..docx338

ज्ञापांकः– 3प / मु०म०नि०यो०–19–36 / 2018(पार्ट–2) 7927 / पं०रा० पटना,दिनांक 17.8. / 2022
प्रतिलिपिः– सभी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद / सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बिहार (अररिया, कटिहार, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, समस्तीपुर, शेखपुरा, सुपौल, अरवल एवं शिवहर को छोड़कर) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(डॉ० रणजीत कुमार सिंह)
निदेशक

ज्ञापांकः– 3प / मु०म०नि०यो०–19–36 / 2018(पार्ट–2) 7927 / पं०रा० पटना,दिनांक 17 / 8 / 2022
प्रतिलिपिः– मिशन निदेशक, बिहार विकास मिशन, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(डॉ० रणजीत कुमार सिंह)
निदेशक

ज्ञापांकः– 3प / मु०म०नि०यो०–19–36 / 2018(पार्ट–2) 7927 / पं०रा० पटना,दिनांक 17 / 8 / 2022
प्रतिलिपिः– विशेष कार्य पदाधिकारी, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना को उनके प्रासंगिक पत्र के अलोक में सूथनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(डॉ० रणजीत कुमार सिंह)
निदेशक

d:\suraj\7 nishchav..docx339

ई–मेल/
स्पीड पोस्ट

पत्रांक–3प/मु०म०नि०यो०–19–36/2018(पार्ट–2)/ 6189 /पं०रा०

बिहार सरकार

पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

मिहिर कुमार सिंह, भा०प्र०से०
प्रधान सचिव

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार (अररिया, कटिहार, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, समस्तीपुर, शेखपुरा, सुपौल, अरवल एवं शिवहर को छोड़कर)।

पटना, दिनांकः– 6 / 7 /2022

विषयः– पंचायती राज विभाग अन्तर्गत क्रियान्वित ''हर घर नल का जल'' योजना का जिला स्तरीय पदाधिकारियों द्वारा किया गया स्थल निरीक्षण एवं योजना का कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने के परिपेक्ष्य में अनुवर्ती कार्रवाई के संबंध में।

प्रसंगः– विशेष कार्य पदाधिकारी, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना का पत्रांक–D2022053848 दिनांक–27.05.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के माध्यम से मुख्य सचिव, बिहार के पत्रांक–मु०स०को०–02/2022/407/गो०मु०स०, दिनांक–07.04.2022 द्वारा जिला स्तरीय पदाधिकारियों को पंचायतों का प्रत्येक बुधवार एवं गुरूवार को निरीक्षण किये जाने के निदेशन को संदर्भित करते हुए जिला स्तरीय पदाधिकारियों की ओर से ''हर घर नल का जल'' योजना के निरीक्षणोपरान्त पोर्टल पर अपलोड डाटा की समीक्षा में उक्त योजना का कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने से संबंधित विवरणी सहित संसूचना विभाग को उपलब्ध करायी गयी है, जो चिन्ताजनक है।

उल्लेखनीय है कि जिला अन्तर्गत वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के माध्यम से उक्त योजनाएं क्रियान्वित की गयी हैं जिसमें प्रत्येक स्तर के योजना क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण इकाई की भूमिका निर्धारित है एवं तदनुरूप योजना के क्रियान्वयन में पायी गयी अनियमितताओं के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई अपेक्षित है।

उपरोक्त परिपेक्ष्य में अनुरोध है कि विषयगत निरीक्षण प्रतिवेदन की अपने स्तर से समीक्षा की जाय एवं पायी गयी अनियमितताओं के विरूद्ध नियमानुसार अनुवर्ती कार्रवाई करते हुए मुख्यमंत्री सचिवालय के सक्षम प्राधिकार को शीघ्र उपलब्ध करायी जाय एवं कृत्त कार्रवाई से विभाग को भी अवगत कराया जाय।

अनुलग्नकः–यथोक्त।

विश्वासभाजन

(मिहिर कुमार सिंह)
प्रधान सचिव

कृ०पृ०उ०...

G:\Anil Sir Letter.docx 1

(338)

ज्ञापांकः–3प/मु०म०नि०यो०–19–36/2018(पार्ट–2)/6189/पं०रा० पटना, दिनांक 6/7/2022

प्रतिलिपिः– सभी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद/सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बिहार (अररिया, कटिहार, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, समस्तीपुर, शेखपुरा, सुपौल, अरवल एवं शिवहर को छोड़कर) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(मिहिर कुमार सिंह)
प्रधान सचिव

ज्ञापांकः–3प/मु०म०नि०यो०–19–36/2018(पार्ट–2)/6189/पं०रा० पटना, दिनांक 6/7/2022

प्रतिलिपि : मिशन निदेशक, बिहार विकास मिशन, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(मिहिर कुमार सिंह)
प्रधान सचिव

ज्ञापांकः–3प/मु०म०नि०यो०–19–36/2018(पार्ट–2)/6189/पं०रा० पटना, दिनांक 6/7/2022

प्रतिलिपि : विशेष कार्य पदाधिकारी, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना को उनके प्रासंगिक पत्र के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(मिहिर कुमार सिंह)
प्रधान सचिव